फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री सुरेश कुमार | **विपक्षी : श्री प्रकाश चन्द्र**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 128/21**

जीसीएमएस : 2021/532

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 29.10.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थी की पूर्व पेशी पर एकतरफा बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात का मैं एकमात्र स्वामी हूं और मेरे ही उपयोग उपभोग में है। वादग्रस्त आराजीयात के उत्तरी दिशा के पडोसी विपक्षी प्रकाशचन्द्र द्वारा अनाधिकार रूप से जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर मेरी खातेदारी की आराजीयात में बाउण्ड्रीवाल बनाने पर आमादा है व मौके पर भारी तादाद में निर्माण सामग्री डलवा रखे है जिसका विपक्षी को कोई विधिक अधिकार नहीं होने का कथन कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज के अध्ययन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम दर्ज होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। विपक्षी [illegible] भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। [illegible]धिकार नहीं होने से यदि विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तो मौके पर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.07 17:38:10 IST
Reason: SelfAttested

विवाद बढने की सम्भावना प्रतीत होती है तथा पक्षकारों के मध्य अनावश्यक मुकदमेंबाजी भी बढेगी तथा इससे प्रार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा अपूरणीय क्षति होगी। प्रकरण में दिनांक 21.12.2021 से विपक्षी के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर विपक्षी को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित पाया जाता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि मौजा कुण्डाल पटवार हल्का नाहरमगरा की जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 की खाता संख्या 1114 पर दर्ज आराजी नम्बर 4273/1440, 4274/1440 किता 2 कुल रकबा 1.9020 हेक्टेयर भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी मौके की यथास्थिति बनाये रखें। किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे, साथ ही प्रार्थी को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर यदि कब्जा विपक्षी का है तो उसे बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। उसके लिए पृथक से सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर सकते हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.07 17:38:10 IST
Reason: SelfAttested